कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – deanshahdol@gmail.com, Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG, Office No. :- 07652-243000

कमांक/..1502./स्था./एम.सी./2020 शहडोल, दिनांक 18/05/2020

विज्ञप्ति

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार कोविड–19 (नोवल कोरोना वायरस) महामारी से बचाव हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अस्थाई नियुक्ति (03 माह के लिए) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल से संबद्ध नवनिर्मित डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कार्य करने हेतु की जानी है। जिस हेतु निम्नलिखित पदों पर वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 19.05.2020 समय – प्रातः 11 बजे से प्रारंभ किये जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्रं.	पदनाम	पद संख्या
1.	जनरल मेडिसिन	06
2.	ऐनेस्थिेशिया (Anacsthesiologist)	06
3.	चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer)	40

***पदों की संख्या बढ़ायी या घटाई जा सकती है।**

1. उपरोक्त नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु की जा रही है। जिसकी अवधि कुल 3 माह की होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ाई–घटाई जा सकती है।
2. चयन प्रक्रिया हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
3. चयनित अभ्यर्थियो का मासिक मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मापदंण्डानुसार देय होगा।
4. अधिक जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के वेबसाइट www.gmcshahdol.org पर उपलब्ध है। कृपया समय–समय पर उसका अवलोकन करें।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पद का नाम, संख्या, शैक्षणिक योग्यता, एवं वांछनीय अर्हतायें संबंधी विवरण

स.क्रं.	पदनाम	योग्यता	पद संख्या	मसिक मानदेय प्रतिमाह
1	जनरल मेडिसिन	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ	06	1,25,000/- (डिग्री) 1,10,000/- (डिप्लोमा) इसके अतिरिक्त COVID-19 नियंत्रक के परिप्रेक्ष्य में विषय विशेषज्ञता के कारण इन्हे 100 प्रतिशत प्रोत्साहन (Incentives) राशि देय होगी।
3	ऐनेस्थिेशिया (Anacsthesiologist)	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ	06	
4	चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer)	(एम.बी.बी.एस) (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीययन)	40	60,000/-

अर्हताये :-

❖ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

निरर्हतायें :-

- विकृत्त चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा-किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- **विवाह संबंधी :** जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उससे पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

Scanned with CamScanner

- **कदाचरण संबंधी–** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्व ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्व नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्व हुआ हो।
- **स्वास्थ्य संबंधी –** मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक की वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाए, तथा वह ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करें।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरूद्व पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगीं।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner